रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 22, 1993/चैत्र 1, 1915
No. 105] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 22, 1993/CHAITRA 1, 1915

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मार्च, 1993

सं. 105/93-सीमा शुल्क

सा. का. नि. 293 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के

वित्त मंत्रालय, राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं. 280/76 सीमाशुल्क तारीख 2 अगस्त, 1976 का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी के क्रम संख्या 29 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंत : स्थापित की जायेंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)
"29 क.	44	(1) वक्ष काष्ठ ; (2) काष्ठ जो लगभग वर्गाकार और अर्ध वर्गाकार है किन्तु और विनिर्मित नहीं है ।	मूल्य का 5 प्रतिशत

[फा. सं. बी.-19/1/93-टी. आर. यू.]

पवन कुमार जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd March, 1993

No. 105/93-Customs

G.S.R. 293(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue and Banking, No. 280/76-Customs dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the Table annexed to the said notification, after Sl. No. 29 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)
"29A.	44	(1) Wood in the rough; (2) Wood roughly squared and half squared, but not further manufactured.	5 per cent. *ad valorem*".

[F. No. B-19/1/93-TRU]

PAWAN KUMAR JAIN, Under, Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993